



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221463
CG-DL-E-31082020-221463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]
No. 220]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सं. आरएस.1/2/2020-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2020 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को सोमवार, 14 सितंबर, 2020 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

31 अगस्त, 2020

ह/-
राष्ट्रपति"

देश दीपक वर्मा, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2020

No. RS 1/2/2020-L.—The following Order by the President dated the 31st August, 2020, is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 14th September, 2020 at 3.00 P.M.

August 31, 2020

Sd/-

PRESIDENT"

DESH DEEPAK VERMA, Secy.-General